राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा विभाग (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक प.15(5)शिक्षा–1/प्रा.शि./2003 पार्ट–I जयपुर, दिनांक 21/12/06

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006–07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 6 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2006–07 में संस्थान के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1.	कोटा कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, झालावाड़ रोड, कोटा	एस.टी.सी.	50
2	संजय टीचर्स ट्रेनिंग कालेज टोंक रोड, जयपुर	एस.टी.सी.	50
3	सेंट सोल्जर महिला टी.टी. कॉलेज, टोंक	एस.टी.सी.	50
4	प्रगति एस.टी.सी. इन्सटीट्यूट, कोटा	एस.टी.सी.	50
5	आर.एन. मेमोरियल महिला एस.टी.सी., जोधपुर	एस.टी.सी.	50
6	महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, चौमूं, जयपुर	एस.टी.सी.	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावें।

2. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
3. शैक्षिक सत्र 2006–07 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
4. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. पाठयक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
6. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।

शासन उप सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा / प्रार / शिप्र / 4489 / प्रवेश / 09-10 दिनांक 27.5.10

समन्वयक,
बीएसटीसी / एनटीटी / एसटीसी संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर।

विषयः— राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक—प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2009—10 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने बाबत्।

संदर्भः— उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.15(5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 पार्ट-I दिनांक 21.12.06 दिनांक .... के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.12.06 के द्वारा निर्देशानुसार पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीन निजी संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चौमूं जयपुर को एसटीसी / एनटीटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2009—10 में 50 / 100 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति एवं सम्बद्धता प्रदान की जाती है। संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्णतया पालना प्रवेश प्रक्रिया में भी की जावे। अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सहायक निदेशक(प्रशिक्षण)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः— प्राचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चौमूं जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

27/5
सहायक निदेशक(प्रशिक्षण)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर